

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग  
(अनुभाग-3)




क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/मा.द./बारां/2010 जयपुर, दिनांक : 15.05.2013

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,  
बारां/उदयपुर।

- विषय :- बारां जिले में निवासरत 'सहरिया एवं खैरुआ' जनजाति तथा उदयपुर जिले में निवासरत कथौडी जनजाति परिवारों को महात्मा गांधी नरेगा योजना में 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध करवाने बाबत।  
संदर्भ :- विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 26.06.2012

महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा बारां जिले में निवासरत "सहरिया एवं खैरुआ जनजाति तथा उदयपुर जिले में निवासरत कथौडी जनजाति परिवारों को 200 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। इसी निरन्तरता में यह स्पष्ट किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में भी इन परिवारों को 200 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

भवदीय  
  
(खजान सिंह)

परि.निदे.एवं उप सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
3. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
6. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस।
7. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं प्रथम एवं द्वितीय, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान एवं मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बारां/उदयपुर।
8. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस, बारां/उदयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।
10. एमआईएस मैनेजर (रिंकु) को ई-मेल करने हेतु।

  
परि.निदे.एवं उप सचिव, ईजीएस